(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 142/2025 दायर दिनांक: 06.08.2025

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. भगवानसिंह पि. धनसिंह जाति सोंधिया नि. आन्याखेडी तहसील पिडावा
2. भेरूसिंह पि. धनसिंह जाति सोंधिया नि. आन्याखेडी तहसील पिडावा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– पैरोकार सरकार

अप्राथी :– एकतरफा

आदेश दिनांक : 23.09.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम आन्याखेडी तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 429/292 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 429/292 रकबा 0.0126 हेक्टर किस्म गै.मु. चाह दर्ज है। यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार सिवायचक भूमि में बनाये गये कुएं का श्रीमान उपख[illegible]री महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 03.12.2010 द्वारा किया गया है। रिप[illegible]टवारी व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश की प्रति संलग्न है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(3)

नियमन नामान्तरण संख्या 260 दिनांक 03.12.2010 से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। बिन्दु संख्या 3 में वर्णित नियमों के प्रावधानों में गैर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुएं के नियमन के पश्चात मात्र लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीजधारक दर्ज किया जाना था। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्षो के पश्चात लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायनी की गई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से रिकार्ड दुरूस्ती कर गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 15.09.2025 से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का धतुरियाकलां की रिपोर्ट, ग्राम आन्याखेडी की जमाबंदी सं. 2072—75 खाता सं.. 136, जमाबंदी सं. 2072—75 के खाता सं. 123, सं. 2068—71 की खसरा गिरदावरी, उपखण्ड अधिकारी पिडावा का आदेश दिनांक 03.12.2010 की छायाप्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आन्याखेडी के खाता सं. 136 के ख.नं. 429/292 रकबा 0.0126 गे.मु.चाह अप्रार्थी भगवानसिंह, भेरूसिंह पि. धनसिंह जाति सोंधिया सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थी को उक्त [illegible] आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 2 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं [illegible] नियमितिकरण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

प्रति वर्ष 24/- की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात न तो उक्त लीज दिनांक 03.12.2010 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरूद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थी के पास अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. अभिभाषक पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम आम्बावेड़ी तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 429/292 रकबा 0.0128 है. जिस्म में मु.बाद अप्रार्थी भगवानसिंह, भेरूसिंह पि. धनसिंह जाति सोंधिया नि. आम्बावेड़ी की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम आम्बावेड़ी के नामा.सं. 280 दिनांक 03.12.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 15 में *"नियमन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा दिनांक 03.12.2010 की पालना में बाद नियमन को गैरखातेदारी में दर्ज कर पेश है"* का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 429/292 जिस्म रकबा में से 0-01 बीघा भूमि पर बने कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। प्रार्थी द्वारा पेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 03.12.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी [illegible] विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 429/292 रकबा 0-01 बीघा पर अप्रार्थी भगवान[illegible] पि. धनसिंह जाति सोंधिया नि. आम्बावेड़ी द्वारा [illegible] कृषि [illegible] की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिक्रमित [illegible] की लीज रेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

जमा कराने पर गैरखातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा राशि 3317/- जरिये पी 33 से जमा करवाई गई जिसमें 25/- पटटा शुल्क, 3220/- डीएलसी दर से भूमि की राशि एवं 24/- प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष की लीज रेन्ट 72/- शामिल थे।

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है – **Rule 7. Conditions of allotment**.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Govemment under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में [illegible] तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज [illegible] और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के [illegible] गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेशेकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 03.12.2010 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। **धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।**

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम आन्याखेडी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 429/292 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम आन्याखेडी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 429/292 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। **लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।** तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner